एक नजर में

दो दिन नहीं आएगा नलों से पानी

भोपाल. कोलार जलप्रदाय परियोजना की ग्रेविटी मेन पाइप लाइन में सुधार कार्य किया जा रहा है जिसके चलते शहर मंगलवार और बुधवार को पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी. जिन क्षेत्रों पानी की सप्लाई नहीं होगी, उनमें नारियलखेड़ा, रेजीमेंट रोड, शाहजहांनाबाद, मुर्गी बाजार, रामनगर, रेशम केन्द्र, पूर्वी तथा पश्चिमी निशातपुरा, चौकसे नगर, ग्रीन पार्क, इंदिरा सहायता नगर, डीआईजी बंगला, शांति नगर, सिंधी कालोनी, भोपाल टॉकीज, हमीदिया रोड, संगम टॉकीज, मोती मस्जिद, गिन्नौरी, इब्राहिमपुरा, बुधवारा, इतवारा, मंगलवारा, काली मंदिर, इस्लामपुरा, सेंट्रल लायब्रेरी, छावनी, 1100 क्वाटर्स, शाहपुरा, त्रिलंगा, ई-7 अरेरा कॉलोनी शामिल हैं. इसके अलावा पंचशील नगर, श्याम नगर, 12 नंबर मल्टी, तुलसी नगर, माता मंदिर, चक्की चौराहा, शिवाजी नगर, चार इमली, शिवाजी नगर, चूना भट्टी, कोलार बस्ती, दुर्गा नगर, पंपापुर, राहुल नगर बस्ती, राहुल नगर मल्टी, वैशाली नगर, सुरूचि नगर, निवेश नगर, नेहरू नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, नया बसेरा, अंबेडकर नगर, गवर्मेंट क्वाटर्स कोटरा सुल्तानाबाद, एम.पी.नगर जोन 02, शिवाजी नगर, अरेरा कालोनी, ई-1 से ई-7 तक, ईश्वर नगर, गुलमोहर जी-3, गुलमोहर कालोनी, लक्ष्मण नगर, भरत नगर, सांईबाबा बोर्ड, जनता क्वाटर्स में भी जल सप्लाई नहीं होगी.

व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम बढ़े

भोपाल. प्रदेश में व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतों में सोमवार को एक बार फिर इजाफा हुआ है. सिलेंडर के दाम 44 रुपए बढ़ गए हैं. राजधानी में 3116.50 रुपए में सिलेंडर मिलेगा. व्यावसायिक गैस सिलेंडर के तीन महीने में लगभग 1300 रुपए तक की वृद्धि हुई हैं. सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ने से चाहे घर का हो या फिर होटल का सभी जगह खाना महंगा हो गया है. जहां भोपाल में होटल रेस्टोरेंट में खाना 10 से 15 प्रतिशत तक महंगा हुआ है. अब आने वाले दिनों होने वाली शादियों पर इसका असर अधिक पड़ेगा. जिससे सभी की परेशानी होगी.

महिला के साथ पति के दोस्तों ने की छेड़खानी

भोपाल. हबीबगंज थाना क्षेत्र में एक महिला के घर में रात के समय घुसकर उसके पति के दो दोस्तों ने छेड़खानी कर दी. आरोपियों ने इस दौरान महिला के गले से मंगलसूत्र भी झपटकर लिया और मौके से फरार हो गए. महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक 25 वर्षीय महिला इलाके में एक झुग्गी बस्ती में अपने परिवार के साथ रहती है. पीड़िता का आरोप है कि सूरज और रंजीत नाम के आरोपी उसके पति के दोस्त हैं. महिला का पति शराब पीने का आदी है. रविवार को देर रात शराब के नशे में आरोपी उसके पति को घर छोड़ने के लिए आए थे. महिला ने सभी को घर के अंदर तक आने दिया. महिला का आरोप है कि जब वह रसोई में गई. उसी समय पति के दोनों दोस्त उसके पीछे आए और छेड़खानी करने लगे. महिला ने जब इसका विरोध किया और पड़ोसियों को आवाज लगाई. इस दौरान दोनों ही आरोपियों ने महिला के गले में पहने मंगलसूत्र को झपट लिया. महिला की आवाज सुनकर जबतक लोग पहुंचे आरोपी मौके से फरार हो गए. पीड़िता इसके बाद देर रात को थाने पहुंची और मामले की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है. पीड़ित महिला लोगों के घरों में जा कर साफ-सफाई का काम करती है.

राम नगर बस्ती में 3 दिवसीय समर कैंप संपन्न

भोपाल. शहर की राम नगर बस्ती के बच्चों एवं किशोरों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए मंथन फाउंडेशन द्वारा तीन दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया. जिसका समापन सोमवार को हुआ. कैंप का उद्देश्य बच्चों को मनोरंजन, रचनात्मकता, नेतृत्व, टीमवर्क, नैतिक मूल्यों तथा जीवन कौशलों से जोड़ना था. समर कैंप में लगभग 120 बच्चों एवं किशोरों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया एवं मंथन के 20 स्वयंसेवको का योगदान रहा. तीन दिनों तक आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सीखने, अभिव्यक्ति और नेतृत्व के अवसर प्रदान किए गए. कैंप में जुम्बा एवं व्यायाम, टीम बिल्डिंग गेम्स, ट्रेजर हंट, जेमिंग सेशन, समुदाय की समस्याओं की पहचान एवं समाधान संबंधी गतिविधियां, हैंडराइटिंग अभ्यास, रचनात्मक खेल, समूह चर्चा तथा मनोरंजक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं.

दिल्ली से मंगाए जाते थे नशीले सिरप

आरोपियों से पूछताछ जारी, मुख्य सरगना की एसटीएफ कर रही तलाश

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 1 जून. एसटीएफ ने गांधीनगर और मुबारकपुर इलाके में छापेमारी कार्रवाई करते हुए करीब दो करोड़ रुपए के अवैध नशीले कफ सिरप बरामद किए है. एसटीएफ की गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ जारी है. सिरप मामले में मुख्य सरगना की एसटीएफ तलाश कर रही है.

जानकारी के मुताबिक एसटीएफ की पांच दिन की रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार आरोपियों ने बताया कि नशीले सिरप दिल्ली से मंगाए जाते थे. सिरप की बोतलों के ऊपर लगे रैपर के एक्सपायरी डेट और बैच नंबर हटाने का काम भी किया जाता था. सिरप को खपाने के लिए ग्रामीण इलाकों में भी इसे पहुंचाया जाता था. बताया जा रहा है कि संबंधित सिरप को लेकर नियमानुसार बिना किसी डॉक्टर के पर्चे के इसे खरीदा नहीं जा सकता है. एसटीएफ की पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि सिरप का मामला भोपाल में करीब एक साल से चल रहा है. हाल ही में पकड़ा गया सिरप करीब एक सप्ताह पहले दिल्ली से भोपाल पहुंचाया गया था. बता दें कि एसटीएफ ने गांधीनगर इलाके में करीब डेढ़ करोड़ और मुबारकपुर में छापेमारी कर करीब 50 लाख रूपए का नशीला सिरप बरामद किया है. एसटीएफ मामले में मुख्य सरगना की तलाश में जुटी है.

निगम-मंडलों में फिजूलखर्ची पर रोक लगे

भोपाल. सेवानिवृत अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई एवं महासचिव अरुण वर्मा ने निगम मंडलों, सहकारी संस्थाओं, प्राधिकरणों,परिषदों, आयोगों में वित्तीय अनियमित्ता एवं वाहनों पेट्रोल डीजल के दुरुपयोग का कड़ा विरोध किया है. फेडरेशन के महाचिव वर्मा ने बताया कि पर्यटन निगम, ऊर्जा निगम, आपूर्ति निगम, एग्रो कार्पोरेशन वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन, पाठ्य पुस्तक निगम, वन विकास निगम, खनिज निगम सहित सभी निगम मंडलों सहकारी संस्थाओं में अधिकारी एवं राजनेता वर्षों से अनावश्यक फिजूल खर्च एवं वाहनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई निगम बंद हो गये. कर्मचारी नेता अनिल बाजपेई एवं अरुण वर्मा ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से मांग की है कि निगम मंडलों में होने वाले अनावश्यक खर्चो पर अंकुश लगाया जाए. अधिकारी राजनेताओं के यहां अनावश्यक वाहन लगे है वहां से वाहनों को वापस बुलाया जाए.

तेज हवा से होर्डिंग क्षतिग्रस्त

भोपाल. लालघाटी से लेकर स्टेट बैंक चौराहे तक मुख्य सड़क पर लगाई गई कई होर्डिंग तेज हवा चलने से फट गई. शहर में मौसम का मिजाज बदल गया.

रहवासियों को मिली राहत

एडीएम ने बिल्डर और रहवासियों की बैठक बुलाई

पानी समेत अन्य समस्याओं का होगा निराकरण

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 1 जून. एडीएम सुमित कुमार पाण्डे ने निजी कॉलोनी के रहवासियों को राहत देते बिल्डरों से चर्चा की उनकी पानी समेत अन्य समस्याओं का निराकरण किया.

हूजूर तहसील के अंतर्गत भविष्य मेट्रो सिटी और कोरल कासा की जनता काफी समय से परेशान थी,जिसके चलते दोनों बिल्डरों के खिलाफ अपनी समस्याओं को लेकर दोनों कॉलोनी के रहवासी एडीएम को शिकायत कर चुके थे. शिकायत की सुनवाई करते हुए दोनों बिल्डरों को कलेक्टर कार्यालय में बुलाया गया था. एडीएम की समझाइश के बाद दोनों बिल्डर कॉलोनी की समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार हो गए हैं. दोनों कॉलोनी में लगभग 300 लोग रहते हैं. कोरल कासा कॉलोनी आयोध्या बायपास क्षेत्र में बनी है. यहां पानी की समस्या काफी दिनों से बनी हुई थी. रहवासियों को पानी के टेंकर बुलाना पड़ रहे हैं. इसको लेकर रहवासियों और कोरल कासा बिल्डर के बीच काफी समय से विवाद बना हुआ था.

यह मामला एडीएम के पास पहुंचा था. इसी तरह से भविष्य मेट्रो सिटी में भी बिल्डर ने कंपलीशन सर्टिफिकेट ले लिया था लेकिन कुछ कार्य अधूरे थे. जिससे रहवासियों और बिल्डर के बीच विवाद चल रहा था.

गौरव दिवस : मंत्री और जनप्रतिनिधि रहे नदारद

पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए भोपाल विलीनीकरण के संघर्ष का इतिहास : महापौर

महापौर ने किया ध्वजारोहण, उड़ाए गुब्बारे

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 1 जून. राजधानी में सोमवार को गौरव दिवस का आयोजन किया गया. महापौर मालती राय ने कहा है कि भोपाल की आजादी के संघर्ष और बलिदान के इतिहास को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए.

महापौर ने भोपाल गेट पर झंडावंदन व गुब्बारे उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया.उन्होंने विलीनीकरण आंदोलन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया एवं विलीनीकरण आंदोलन के सेनानियों के परिजनों का सम्मान भी किया. इसके उपरांत महापौर राय ने जुमेराती पोस्ट ऑफिस परसिर में आयोजित गौरव दिवस कार्यक्रम में झंडावंदन कर भारत माता के चित्र पर माल्यर्पण किया और मिष्ठान वितरण भी किया.

6 साल पहले हुई थी शुरुआत: राजधानी भोपाल का विलीनीकरण एक जून को हुआ था. जिसको गौरव दिवस में विगत 6 वर्षों से मनाते आ रहे हैं. इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन महापौर व सांसद आलोक शर्मा ने की थी. उसके बाद से प्रतिवर्ष पुराने शहर शाहजहांनाबाद क्षेत्र में भोपाल गेट पर आयोजन होता आ रहा है. वहीं भोपाल में दो मंत्री और सात विधायक के साथ ही बड़ी संख्या में पार्षद जो इस आयोजन में शामिल नहीं हुए. सूत्रों से जानकारी मिली है कि स्थानीय राजनीति में आपसी विरोध है. जो गौरव दिवस के आयोजन में शामिल ना होने से अब सबके सामने देखने को मिला है.

> प्रतिवर्ष गौरव दिवस के आयोजन में शहर के विधायक हों या पार्षद सभी इस आयोजन में शामिल होते रहे हैं. लेकिन इस बार महापौर और कुछ पार्षद के अलावा कोई भी शामिल नहीं हुआ. भोपाल से सांसद का स्वास्थ्य खराब होने से वह शामिल नही हो सके. जोन अध्यक्ष विनीता सोनी, पार्षदगण प्रियंका मिश्रा, सरोज आसेरी, राजू कुशवाह, शैलेष साहू, पूर्व निगम परिषद अध्यक्ष कैलाश मिश्रा के अलावा राकेश कुकरेजा, अभय पंडित, हरिओम आसेरी, राजेन्द्र गुप्ता, अवनि शर्मा, पुष्पेन्द्र जैन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल हुए.

जिले में आपदा से सुरक्षा के हों पुख्ता इंतजाम

मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन की बैठक हुई

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 1 जून. राजधानी में आगामी दिनों में बारिश के दौरान बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सोमवार को आपदा प्रबंधन सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की. कलेक्टर मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मानसून के दौरान किसी भी तरह की आपदा उत्पन्न हो, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग अपनी-अपनी तैयारियां जल्द पूरी कर लें.

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के संभावित बाढ़ प्रभावित या संवेदनशील क्षेत्रों का सीमांकन, सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं. तहसीलदार स्तर पर बाढ़ नियंत्रण समितियों का गठन एवं बैठक कर आपात स्थिति में क्षेत्र में प्रस्तावित राहत शिविरों का चिन्हांकन करें. पेयजल एवं बिजली, दवाइयों की व्यवस्था की जाए. कलेक्टर ने पुलिस एवं होमगार्ड विभाग द्वारा जिले में उपलब्ध मोटर्स बोर्ड, बाढ़ राहत सामग्रियां एवं पुलिस अमले का प्रशिक्षण, तैराकों की सूची एवं डिसिट्रक कंट्रोल कमांड सेंटर से समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए.

> **वॉट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश**
>
> कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपदा प्रबंधन के लिए वॉट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश दिए. जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान समय पर हो सके कलेक्टर ने कहा क पीडब्ल्यूडी जिले में क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत एवं छोटे- बड़े पुल-पुलियों की सूची तैयार कर खतरनाक स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगवाए.

> **आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर जारी**
>
> बैठक में आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम जिला स्तर पर बनाकर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं. इसके तहत प्राकृतिक आपदा की परिस्थितियों में जिला आपदा नियंत्रण कक्ष नगर निगम कार्यालय एवं फायर कंट्रोल रूम, पीएचक्यू चौराहा लैंड लाइन फोन नंबर- 0755-2540220, 2701401, 2542222 पर संपर्क कर सकते हैं.

शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म

भोपाल. बैरागढ़ थाना इलाके में 24 साल की एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. महिला ने आरोप लगाया है कि युवक ने उससे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया. महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. फरार आरोपी युवक की तलाश में पुलिस जुट गई है. महिला शाहजहांनाबाद इलाके में रहती है. चार साल पहले उसकी आरोपी रोहित से मुलाकात एक रिश्तेदार की शादी में हुई थी. दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर फोन पर बातचीत होने लगी. मामला प्रेम प्रसंग तक पहुंचा. इस दौरान आरोपी ने बैरागढ़ इलाके में संचालित एक होटल में उसे मिलने के बहाने बुलाया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया. महिला ने आरोपी रोहित पर जब शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया तो वह मुकर गया. परेशान होकर महिला ने बैरागढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई.

कलेक्टर ने निगम अफसर पर जताई नाराजगी

समय सीमा मीटिंग में की विभागों की समीक्षा

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 1 जून. कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को समस सीमा से संबंधित कार्यो की समीक्षा बैठक कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में हुई. कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान पाया गया कि लोगों की शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं हो रहा है.

ऐसे में बार-बार लोग कलेक्ट्रेट, तहसीलों व नजूलों में भटक रहे हैं. खास तौर से सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरती जा रही है. समय पर काम नहीं होने से लोगों को जनसुनवाई आना पड़ता है. कलेक्टर ने कहा कि ऐसी नौबत आने वाले दिनों में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करूंगा. सीएम हेल्पलाइन की सुनवाई के मामले में सबसे अधिक शिकायतें नगर निगम की पाई गई. जिस पर उन्होंने निगम अधिकारी पर नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द निराकरण करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आगे से सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें पेंडिंग नहीं होनी चाहिए.

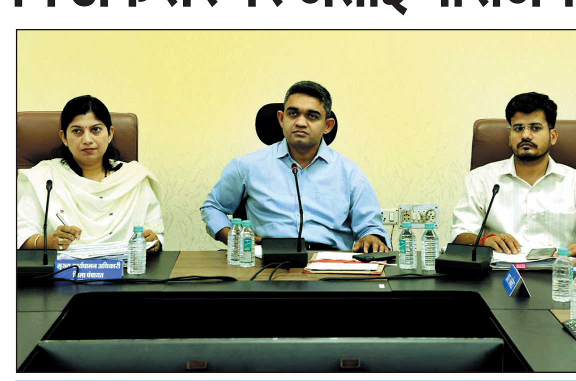

> **जमीनों के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं**
>
> कलेक्टर मिश्रा ने अधिकारियों से कहा कि लोक सेवा गारंटी व जमीनों से जुड़े प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने नहीं आनी चाहिए. कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होने पर अर्थदंड की कार्रवाई की जाए. बैठक में शिक्षा विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.

निगम की अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई

ठेले, पान पार्लर, काउंटर गन्ने की चरखी जब्त

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 1 जून. नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के दलों ने सोमवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की.

यह कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण और मुख्य मार्गों पर यातायात को बाधित करने वालों पर की गई.

जिन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया गया है उनमें सूरज नगर, पीएनटी चौराहा, भदभदा ताज होटल, जवाहर चौक, सरस्वती नगर, न्यू मार्केट जीटीबी काम्पलेक्स, सेकंड स्टाप नगर निगम मुख्यालय, लिंक रोड नं0-1,2,3, बिट्ठल मार्केट, खजूरी कलां बिजली कालोनी, खजूरी रोड, बागसेवनिया, जहांगीराबाद, बरखेड़ी, बोट क्लब, रेतघाट, रविन्द्र भवन आदि शामिल हैं. इस दौरान बड़ी संख्या में ठेले, दुकानों के बाहर रखा सामान जब्त किया.

उठाया सवाल एडीएम पाण्डे को समाजसेवी अमिताभ अग्निहोत्री ने सौंपा ज्ञापन

नवाब की 1370 एकड़ जमीन शत्रु संपत्ति होगी?

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 1 जून. भोपाल नवाब की संपत्तियों को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है. इस मामले में समाजसेवी अमिताभ अग्निहोत्री ने सोमवार को भोपाल एसडीएम सुमित कुमार पाण्डे को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गंभीर सवाल उठाये हैं.

ज्ञापन में सवाल उठाया गया है कि हाईकोर्ट में सैफ अली खान ने कोहेफिजा, नयापुरा, हलालपुर, भोपाल शहर में भोपाल नवाब की संपत्ति 1370 एकड़ दर्शायी है. तो क्या यह 1370 एकड़ जमीन शत्रु संपत्ति घोषित होगी. ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार के तत्कालीन अधिकारी वीपी मेनन के 29 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षरित नक्शे अनुसार भोपाल नवाब की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी में कसरे-ए-सुल्तानी के अंदर की सभी प्रॉपर्टी, फिरदोस फॉर्म एवं रिजवान बाग शामिल है. जिसमें फिरदोस फॉर्म का क्षेत्र लगभग 839.28 एकड़ एवं रिजवान बाग का क्षेत्र लगभग 139.75 एकड़ है.

ऐसे में इसके अलावा कितनी अन्य प्रॉपर्टी, भूमि, भवन नवाब परिवार के आधिपत्य में है, इसकी जांच कराया जाना चाहिए. ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि कस्टोडियन विभाग भारत सरकार मुंबई ने भोपाल रियासत की शत्रु संपत्तियों पर कार्यवाही के लिए 25 फरवरी 2015 को प्रमुख सचिव राजस्व विभाग मप्र शासन को पत्र भेजा था. ऐसे में सवाल उठाया गया है कि 11 वर्षों के बाद भी मप्र शासन ने इस पत्र के आधार पर शत्रु संपत्ति मामले में सक्षम कार्यवाही क्यों नहीं की.

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि भोपाल रियासत की शत्रु संपत्ति के मामले में सैफ अली खान, श्रीमती शर्मिला टैगोर, सबाह अली खान, सोहा अली खान और सबीहा सुल्तान की अलग- अलग पिटीशन में भारत सरकार के गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कस्टोडियन विभाग व प्रमुख सचिव राजस्व विभाग मप्र सरकार को पक्षकार बनाया.

> इन तीनों पिटीशनों में हाईकोर्ट जबलपुर ने 13 दिसंबर 2024 को भारत सरकार के पक्ष में निर्णय दिया. ऐसे में मप्र सरकार ने क्या कार्यवाही की, यह भी बताया जाना चाहिए. समाजसेवी अग्निहोत्री ने ज्ञापन में शत्रु संपत्ति से जुड़े अन्य सवाल भी किए हैं और कार्यवाही की मांग की है.